

कर्नाटक में कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने 50 विधायकों को पचास-पचास करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र ने कहा, बिना प्रमाण दिए ऐसे आरोप लगाना बचकाना राजनैतिक बयान है

-लक्ष्मण बैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया के एक दावे ने कर्नाटक के राजनैतिक वातावरण में तूफान ला दिया है जो भी ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि भाजपा उनकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रु. की पेशकश कर रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को एक जनसभा में दिए गए इस बयान के कारणों व प्रभाव को राजनैतिक विश्लेषक टायल बैलून के रूप में देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल कांग्रेस महाराष्ट्र व झारखण्ड के विधानसभा चुनावों में कर रही है इनमें कर्नाटक की तीन विधानसभा सीटें भी शामिल हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए उन्हें सबूत देने की चुनौती दी। लेकिन इस आरोप का अधिकृत तौर पर खंडन आने से इन पर ज्यादा यकीन हो जाएगा। खासकर भाजपा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। भाजपा कई राज्य

■ कर्नाटक में कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आरोपों का समर्थन किया और कहा, भाजपा का निर्वाचित सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाने का इतिहास रहा है।

■ शिवकुमार ने कहा, भाजपा ने कर्नाटक में ऐसा किया था और कांग्रेस-जद (एस.) गठबंधन की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने जद (एस) और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ लिया था।

■ शिवकुमार ने मध्यप्रदेश का उदाहरण भी दिया, जहाँ, भाजपा ने ज्योतिरादित्य व उनके समर्थकों से दल-बदल करवा कर कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिरा दी थी।

■ इधर भाजपा ने कहा कि असल में सिद्धारमैया को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है वे उन पर नियंत्रण करने और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान हटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।

सरकारों को साबित करके गिराया है। जिनमें कर्नाटक भी शामिल है जब कांग्रेस व जग ए.एस. के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया ताजिसकी वजह से कुमारास्वामी की सरकार गिर गई थी जिसमें कांग्रेस

सहयोगी थी। इसके बाद भाजपा ने सरकार बनाई थी।

इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी भाजपा ने यही रास्ता अपनाया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक

विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी जिससे कांग्रेस अल्पमत में आ गई और फिर ज्योतिरादित्य की मदद से भाजपा की सरकार बनी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भाजपा के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं, कि भाजपा उनकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के हरेक विधायक को पचास करोड़ रु. की पेशकश कर रही है।

सिद्धारमैया ने कहा, "सिद्धारमैया की सरकार गिराने के लिए उन्होंने कांग्रेस के 50 विधायकों में से प्रत्येक को 50 करोड़ रु. की पेशकश की है। उन्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों यदियुरया व नेमई से या फिर विपक्ष के नेता आर. अशोक या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र से? यह पैसा भाजपा नेताओं ने रिश्त से एकत्रित किया और फिर कांग्रेस विधायकों को ललचाने का असफल प्रयास किया।

सिद्धारमैया ने कहा इस बार कोई कांग्रेस विधायक नहीं माना। इन्होंने किसी भी तरह से हमारी सरकार को हटाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गौवंश तस्कर की जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में

जयपुर, 14 नवंबर। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश निवासी आदतन गौवंश तस्कर नजीम खान को, 21 अक्टूबर को मिली जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिच्यू पिटीशन दायर की है। रिच्यू पिटीशन में राज्य सरकार ने आरोपी को जमानत देने वाला आदेश

■ राजस्थान सरकार ने आरोपी की जमानत के आदेश को रद्द करने का रिच्यू पिटीशन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील का वकालत नामा नहीं आने के कारण जमानत दी थी।

वापस लेकर उसे रद्द करने का आग्रह किया है।

राज्य के ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान गौवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। उस पर उत्तर प्रदेश में भी गिरोह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन का संचालन फिर लटका

रेलवे सेफ्टी कमिश्नर "लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट" के बाद फिर से सुरक्षा सम्बंधी टैस्ट करेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 नवम्बर। लंबे समय अनिर्णित, 272 कि.मी. लंबी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की कम्पलीशन डेट को एक बार फिर अप्रत्याशित कारणों से आगे खिसका दिया गया है। तारीख आगे करने का कारण यह संभावना है कि रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर, "लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट" करने के बाद सेफ्टी सर्टिफिकेशन टैस्ट फिर से करेंगे।

यह प्रोजेक्ट तीन दशकों से चल रहा है तथा कई बार इसकी डैडलाइन निकल चुकी है और इसकी लागत भी बहुत बढ़ गई है। इसे 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था और 2015-16 में इसकी अनुमानित लागत 25,100 करोड़ रु. दी थी, जो 2022 में बढ़कर 28,000 करोड़ हो गई थी। अधिकारियों ने संकेत दिया कि अब इसकी लागत 40,000 करोड़ रु. तक पहुंचने की उम्मीद है।

■ लोड डिफ्लैक्शन टैस्ट किसी रेल पुल की लचीली क्षमता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें पुल पर रेल की गति और वजन पर पुल की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है।

■ 272 किलोमीटर लम्बी इस रेल लाइन पर तीन दशकों से काम चल रहा है तथा इसकी लागत 25 हजार करोड़ रु. से बढ़कर 40 हजार करोड़ रु. हो गई है। निकट भविष्य में भी इसके पूरे होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है।

योजना पर धीमी प्रगति है, पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो गई है। कुल 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर पर काम पूरा हो गया है और बचे हुए 63 किलोमीटर लम्बे कटरा-संगलदान सैक्शन में काम पूरे होने के करीब है।

गत वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 48 किलोमीटर लम्बे बनिहाल संगलदान सैक्शन का उद्घाटन किया था। इस लाइन की सभी 38 सुरंगों,

जिसमें 12.75 किलोमीटर लम्बी भारत की सबसे लम्बी सुरंग टी-49 भी शामिल है, पूरी हो चुकी है तथा 39 पुलों में से मात्र एक पर काम चल रहा है, कटरा संगलदान सैक्शन के सभी चार भाग पूरे हो गए हैं।

गत वर्ष जून में भारतीय रेल्वे ने चिनाब ब्रिज पर सफल ट्रायल किया था। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है जो संगलदान और रेआसी के बीच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप के महेश खींची दिल्ली के महापौर बने

नई दिल्ली, 14 नवंबर। आम आदमी पार्टी के महेश खींची दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। गुरुवार को हुए मतदान में खींची को 133 और भाजपा को 130 वोट मिले। दो पार्षदों का वोट अवैध घोषित किया गया। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के सीट पर

■ आप पार्टी को 133 वोट मिले और भाजपा को 130 वोट मिले। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने मतदान का बहिष्कार किया।

पहुंचते ही सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। कांग्रेस पार्षदों ने आप के मेयर पर दलितों का हक मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस के सभी 8 पार्षदों ने सदन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या राजफैड ने ऑरिगो और श्री शुभम् लॉजिस्टिक को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया कृषि उपज के भंडारण का "मूवमेंट प्लान"?

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 14 नवम्बर। क्या राजफैड ने ऑरिगो और श्री शुभम् लॉजिस्टिक को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि उपज के भंडारण का "मूवमेंट प्लान" बनाया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि, राजफैड ने गत 18 अक्टूबर से खरीफ की फसलें जिनमें दलहन व तिलहन शामिल हैं, को खरीदना शुरू किया और उन्हें राजस्थान राज्य भंडारण निगम के गोदामों में रखने का एक "मूवमेंट प्लान" बना लिया। जिसके बारे में कोई भी जानकारी ना तो भंडारण निगम के अफसरों को दी गई और ना ही यह प्लान बनाने से पहले उनके गोदामों की क्षमता, बीमा, सुविधा व खाली जगह के बारे में कोई जानकारी ली गई। चर्चाएं हैं कि किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा हुआ दलहन व तिलहन का यह भारी-भरकम स्टॉक भंडारण निगम के उन गोदामों में रखने की बात

मामला प्रदेश में अक्टूबर माह से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद और भंडारण से जुड़ा है

■ दरअसल राजफैड ने 18 अक्टूबर से खरीफ की फसलें खरीदना शुरू की, परंतु फसलों के भंडारण से संबंधित "मूवमेंट प्लान" को बनाने से पूर्व ना तो भंडारण निगम के अफसरों को सूचना दी गई और ना ही गोदामों की क्षमता, बीमा, सुविधा व खाली जगह के बारे में कोई जानकारी ली।

■ ऐसे में किसानों से खरीदी गई यह उपज भंडारण निगम के उन गोदामों में भी पहुंचेगी, जिनका संचालन ऑरिगो कॉमोडिटीज और श्री शुभम् लॉजिस्टिक कंपनी पी.पी.पी. मोड पर करती है, कृषि उपज रखने के लिए। इन कंपनियों ने बीमा तक नहीं करवा रखा है।

■ राजफैड की अनदेखी के कारण दलहन-तिलहन का यह स्टॉक उन गोदामों में भी जायेगा, जहां सुरक्षा, इश्योरेंस कवर और भरपूर क्षमता नहीं है। ऐसे में आनन-फानन में निजी गोदामों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे सीधा-सीधा बाजार भाव की वृद्धि होगी।

में रखी जाने वाली हजारों करोड़ों रु. की कृषि उपज अगर किसी दुर्घटना में नष्ट होती है अथवा चोरी होती है या सड़ती

फोन टैपिंग में लोकेश शर्मा ने याचिका वापस ली

जयपुर, 14 नवंबर। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान फोन टैपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोट के ओ.एस.डी. रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपनी याचिका को वापस ले लिया है। लोकेश शर्मा ने याचिका दायर कर मामले में दर्ज एफ.आई.आर. को निरस्त करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर करने की गुहार की थी। इसके साथ ही मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक स्वतः हट गई है। लोकेश शर्मा की ओर से पेश

■ याचिका वापस लेने से लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर से रोक हट गई।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 25 सितंबर को दिल्ली पुलिस की ब्राह्म ब्रांच में बयान दर्ज कराने के साथ ही सबूत भी सौंप दिए हैं। ऐसे में अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले के अनुसार, फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट को रद्द करने और प्रकरण को राजस्थान ट्रांसफर की गुहार करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

ट्रम्प की, सरकारी खर्च कम करने की मुहिम का सबसे ज्यादा विरोध राजनीतिज्ञ करेंगे

राजनीतिज्ञ तय करते हैं केन्द्रीय बजट और वे अपने इस अधिकार को किसी अन्य टीम को देना नहीं चाहेंगे

-अंजन राॅय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। आप एक नया विभाग या एजेंसी बना रहे हैं, जो सरकार के आकार को घटाने के लिए अध्ययन और उसे लागू करने का कार्य करेगी। यही काम अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प कर रहे हैं और इसका सह-नेतृत्व कौन करेगा? दुनिया के सबसे अमीर और साहसी उद्यमी एलन मस्क। सरकारी आकार घटाने के इस अभियान में एक और प्रमुख व्यक्ति हैं विवेक रामास्वामी। इसका केन्द्रीय विचार वहीं है जो

पहले व्यक्त किया गया था: "प्रशासनिक राज्य का विघटन"। यह वर्तमान सरकार सुधारों के संदर्भ में क्रांतिकारी हो सकता है। यह विचार भारत में भी 1991-92 में व्यापक सुधारों के दौरान और बाद में व्यक्त किया गया था। यहाँ ध्यान इस पर था कि केन्द्र में विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाए रखकर, उन मंत्रालयों का खर्चा समाप्त किया जाए, जिनकी आवश्यकता अब खत्म हो गई है।

उदाहरण के लिए, उदाहरण के बाद, कई मंत्रालय किसी हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं, जैसे कि इस्पात

■ हालांकि, ट्रम्प ने केन्द्रीय सरकार का कार्य क्षेत्र कम करने का काम अपने मित्र एलन मस्क व बुद्धिजीवी मैनेजमेंट विशेषज्ञ रामास्वामी को सौंपा, तथा ऐसा माना जा रहा है कि, सबसे पहले कैंची सोशल सैक्टर व सेना के विशाल बजट पर चलने की आशांका है।

■ एलन मस्क का दावा है कि अमेरिका का केन्द्रीय बजट, जो लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर है, में वो अपने खर्च कम करने के प्लान के मार्फत लगभग दो ट्रिलियन डॉलर बचा सकेगा। उनके इस प्लान से दर्जनों सरकारी एजेंसियों व विभागों को बन्द कर दिया जायेगा, तथा लाखों लोगों की छंटनी होगी।

और खनिज मंत्रालय, जो वास्तव में व्यवसाय से जुड़े मामलों का काम करते हैं। वास्तव में, भारत में केन्द्रीय सरकार के ऐसे अप्रासंगिक मंत्रालयों की पहचान करने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। डॉनल्ड ट्रम्प और उनके सरकारी पुनर्गठन के चयन में भारी अंतर है। एलन मस्क और रामास्वामी दोनों ही बुद्धिजीवी और व्यवसायी हैं। एलन मस्क गहरे विचारशील माने जाते हैं और उन्होंने अक्सर एक विचारक के रूप में

एकाकी जीवन व्यतीत किया है। वे जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोचते रहते हैं और इन विषयों पर काफी पढ़ते हैं।

रामास्वामी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने येल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी ली। एक आइवी लीग के छात्र के रूप में रामास्वामी ने सरकारी आकार को कम करने और इसे छोटा करने के लिए अभियान चलाया। वे एक आप्रवासी परिवार से आते हैं, जिनके माता-पिता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने 26 हजार प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश दिये

ममता बनर्जी सरकार के शिक्षा मंत्री इस स्कैम में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तथा जेल में बन्द हैं

- अंजन राॅय -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 14 नवंबर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज, तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 26 हजार प्राइमरी स्कूल टीचरों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।

माने तृणमूल कांग्रेस सरकार और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुसीबतों का जैसे अंत ही नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक विनाशकारी निर्णय जारी किया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश अभिजित गांगुली के आदेश को पुष्टि की गई।

उच्च न्यायालय ने, राज्य के स्कूलों में की गई, 26 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले, न्यायमूर्ति गांगुली के आदेश को बरकरार रखा है।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा तथा समस्त प्रक्रिया आयोजित की थी, जिसे एक उम्मीदवार

■ ममता बनर्जी सरकार अब तक "जाॅब फॉर कैश" स्कैम में इन शिक्षकों को बचाने का प्रयास ही करती दिख रही है। सरकार इन सभी नियुक्ति पत्रों को रद्द कर पुनः पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष भाव से पूरी करके पुराने नियुक्तियों को रद्द करके, नई नियुक्तियां करने के आदेश को रूकवाने की पूरी कोशिश में ही रही है।

ने चुनौती दी थी। इस उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

यह बात सामने आई कि स्कूल सेवा आयोग ने ब्लैक लिस्टेड सैंडो कंपनियों के माध्यम से अपारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई थी। जस्टिस गांगुली के समक्ष प्रस्तुत प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। जैसे कि, जिन उम्मीदवारों ने अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें बाहर कर दिया गया था और उन उम्मीदवारों को लिया गया था जिन्हें एस. एस. सी. परीक्षाओं में बहुत कम अंक मिले थे।

यह "जाॅब फॉर कैश" घोटाला था और चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों ने

अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए रिश्त ली थी।

इन प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर अदालत ने सी. बी. आई. को व्यापक जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान, सी. बी. आई. टीम शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दरवाजे पर पहुंची और उनके एक घर से करीब 60 लाख रुपये की नकदी बरामद की।

शिक्षा मंत्री के घर में पाए गए इतने अधिक कैश को देख कर समस्त राज्य अर्चभित था कि, अनियमितताएं किस हद तक हुई हैं।

राज्य शिक्षा मंत्री, पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय

को और उनकी गलफैंड जेल में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इन भारी अनियमितताओं से दूरी बनाने के लिए तुरंत ही मंत्री को निष्कासित कर दिया था।

फिर भी, राज्य को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए, अपरोक्ष रूप से इन घोर अनियमितताओं का समर्थन किया था, कि जिन्हें नियुक्ति दे दी गई है उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि योग्य उम्मीदवार बिना नौकरी के रहते। भारी संख्या में उम्मीदवार, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली, वो पिछले दो वर्षों से "घरने" प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब देश में कई जगह चुनाव प्रक्रिया जारी है, ऐसे में अदालत द्वारा सरकार की भर्ती प्रक्रिया की जबरदस्त निंदा का आम जनभावना पर कुछ तो असर होगा। हाई कोर्ट के निर्णय के जवाब में ममता बनर्जी ने उन उम्मीदवारों को आश्चर्य करने कोशिश की जो बर्खास्त कर दिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ परिवाद में साक्ष्य पेश करने के आदेश

जयपुर, 14 नवंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय, ने शिवा समुदाय के इमाम बारागाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के मामले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ पेश परिवाद पर सुनवाई करते

■ शिवा समुदाय की इमाम बारागाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने का परिवाद विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ पेश हुआ है।

हुए परिवादी को 28 नवंबर को अपने साक्ष्य पेश करने को कहा है। पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने यह आदेश रियाज हुसैन के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)